

# FORM NO. III





फर्द अहकाम  
(नियम-26)

2018/01/92

अज अदालत ..... सहायक कलेक्टर नियम

बीजराज बनाम गजेशाराम

किस्म मुकदमा ..... R.P.R. Act 75 नं. 42 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
S.C. 18	<p>अपीलाबट ने यह धारणा पत्र / अपील पत्र अन्तर्गत धारा 75-122 के तहत ग्राम सरवडी राज्य लोक अदालत के रूप में पेश कर निवेदन किया की ग्राम सरवडी के नामान्तरकरण संख्या 453 दिनांक 5/2/83, और पिताजी का ज्योतंगी म्यूटेशन दर्ज करने सम्पन्न मेरा नाम केवर पुत्र रजीया दर्ज कर दिया है। जो अशुद्ध नाम है। जबकी सरकारी दस्तावेज में मेरा नाम शुद्ध व सही नाम बीजराज पुत्र सजुराम है। अतः अपीलाबट ने अशुद्ध नाम केवर पुत्र रजीया की जगह शुद्ध नाम बीजराज पुत्र सजुराम करने की रिजाइस की है। हमने पतावली व पतावली में सफाई दस्तावेज, सरपंच ग्राम पंचायत सरवडी, व्याह लखन मन्नी नरसीगराम, वजाराज, गजेशाराम व परचारी</p>	<p> श्री. बीजराज</p> <p> गजेशाराम</p> <p> श्री. नरसीगराम</p> <p> श्री. वजाराज</p>

(भागीदार राशि)  
मिठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018  
मुख्य अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
मालोवस कैम्प

सरणी, आर. आई सत्यानपुर व  
अ तहसीलपर सत्यानपुर की संयुक्त  
रिपोर्ट का प्रामोदन व दिवापन  
किया, जिसमें शीमाण का सुई  
नाम जीनाराज पुत्र साधुराज ही  
अता शीमाण की शीमा  
को स्वीकार किया और तहसीलदार  
जयपरा को शिवाहीत किया जाकर  
हे की शिशु नाम जेवर पुत्र  
रजीपा के स्थान पर जीनाराज  
पुत्र साधुराज सुई नाम दर्ज करे।  
समाप्ति जैसल हुमाद होकर  
दाखिल दफतर हो।

आदेश राजस्य लोक अदालत  
केम्प सरणी न सुनाया ०५४

(नागरिक जज)

नैजामी अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट केम्प-2018

राजस्य अधिकारी एवं जज नगराज कलेक्टर

तारीख नवंबर २०१८